**संख्या- 30 /2023/706/001-53-2099-1357-2019**

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण-वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन (उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर. महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बहराईच ।

**दुग्ध विकास अनुभाग-2** **लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त, 2023**

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना, अनुदान संख्या-83. एस.सी.पी.) ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक-138/ दुग्ध-4/नियो0 / कृषक प्रशि0-एससीपी(285) /2023-24, दिनांक-21 जुलाई, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में 75 जनपदों हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 272.92 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 136.47 लाख रूपये एक करोड छत्तीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की वितीय स्वीकृति संलग्न के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध-**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक / डाकघर में जमा नहीं किया जाएगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस०सी० पी० / टी० एस०पी० मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन कार्यो/ मदों हेतु अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(4) सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/ आहरण वितरणअधिकारी वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेगें।

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ / समितियां अपने संसाधनों से उसका वहन करेंगे।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित / पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा।

(7) भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति की उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों /दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(9) दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक में उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के शुद्ध एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0 का होगा ।

(10) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर लिया जायेगा। योजनावार / जनपदवार परिव्यय प्राप्त कर लिए जायेगा ।

(11) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संबंधित संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,36,47,000 (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2404007890500 कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम मानक मद 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023. दिनांक 17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

राम सहाय यादव
विशेष सचिव

.....3/-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या- 30 /2023/706 (1) /001-53-2099-1357-2019**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0. प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (ऑडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०एफ०लि०, पार्क रोड, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
9. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।
11- सम्बन्धित इकाई प्रभारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3 / राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0 शासन।
13- सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
14- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ विभाग को बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-07/26 ब0 प्रा0-2015, दिनांक 17 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में प्रेषित।
15- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।
16- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ह०/-
पंकज कुमार सिंह,
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।